

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
 अन्वेषक भवन, जी 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर
 क्रमांक: एफ 13 () मु./अनुप्रति कोचिंग/नियम/सान्याअवि/21/पार्ट-1/2023 जयपुर, दिनांक: 13/11/24

परिपत्र

विषय : “मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना” के संशोधित नवीनतम दिशा-निर्देश एवं प्रक्रिया।

विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स एवं सरकारी नौकरियों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी परिणामोन्मुखी कोचिंग संस्थाओं/ बुनियादी शैक्षणिक सुविधाओं वाले ज्ञानवर्धक अन्य कोचिंग संस्थाओं के माध्यम से उत्कृष्ट ढंग से करवाने एवं समान अवसर प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना वर्ष 2021-22 से प्रारम्भ करने के सम्बंध में सामान्य दिशा-निर्देश एवं प्रक्रिया वित्त (व्यय-2) विभाग, राजस्थान जयपुर द्वारा परिपत्र क्रमांक FD(Exp-2)05/TAD(B.A.107)2021-22 दिनांक 05.06.2021 (यथा संशोधित) जारी किया गया था। उक्त परिपत्र में नवीन संशोधन कर वर्ष 2024-25 से मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के संशोधित नवीनतम दिशा-निर्देश एवं प्रक्रिया निम्नानुसार जारी किये जाते हैं :-

- इस योजना के तहत राजस्थान के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति-पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं विशेष योग्यजन के छात्र-छात्राएं पात्र होंगे। ऐसे अभ्यर्थी जिनके माता-पिता/अभिभावक राजकीय कार्मिक नहीं हैं तो माता-पिता/अभिभावक (अभ्यर्थी की आय को सम्मिलित करते हुये यदि है तो) की वार्षिक आय रुपये 8,00,000/- तक हो। ऐसे अभ्यर्थी जिनके माता-पिता/अभिभावक राजस्थान सरकार में राजकीय कार्मिक हैं तो कार्मिक का पे मैट्रिक्स का अधिकतम लेवल-11 तक हो और सकल वेतन एवं अन्य समस्त स्रोतों सहित कुल वार्षिक पारिवारिक आय रुपये 8,00,000/- तक हो। ऐसे अभ्यर्थी जिनके माता-पिता/अभिभावक केन्द्र सरकार में राजकीय कार्मिक हैं तो पे मैट्रिक्स का अधिकतम लेवल-6 तक हो और सकल वेतन एवं अन्य समस्त स्रोतों सहित कुल वार्षिक पारिवारिक आय रुपये 8,00,000/- तक हो।
- योजना के तहत सत्र 2024-25 से विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी हेतु सूचीबद्ध कोचिंग संस्थाओं को देय राशि, राज्य स्तरीय श्रेणीवार लक्ष्य, कोचिंग की अवधि एवं छात्र-छात्राओं की न्यूनतम योग्यता निम्न तालिका-01 में अंकित अनुसार रहेगी :-

तालिका-01

परीक्षा / पाठ्यक्रम	राशि	अवधि	न्यूनतम योग्यता	श्रेणी				Total	
				SC	ST	OBC	Other		
यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल	परिणामोन्मुख कोचिंग संस्थानों	1 वर्ष	स्नातक/स्नातक के	131	117	45	45	23	450



Signature valid
 Digitally signed by Bachanesh Kumar Agrawal
 Designation : Director
 Date: 2024.11.12 9:41:21 IST
 Reason: Approved

सेवा परीक्षा	के माध्यम से 75000 रूपये		अंतिम दो वर्षों में अध्ययनरत एवं कक्षा 12वीं में 60% अंक										
आरपीएससी द्वारा आयोजित आरएस एवं अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा	ज्ञानवर्धक अन्य कोचिंग संस्थाओं के माध्यम से 50000 रूपये	1 वर्ष	परिणामोन्मुख कोचिंग संस्थानों के माध्यम से 50000 रूपये	261	189	189	90	90	45	36	900		
आरपीएससी द्वारा आयोजित सबइंस्पेक्टर एवं पूर्व में 3600 ग्रेड पे तथा वर्तमान में पे मेट्रिक्स में पे लेवल-10 एवं ऊपर की अन्य परीक्षाएं	20000 रूपये	6 माह	स्नातक/स्नातक के अंतिम दो वर्षों में अध्ययनरत एवं कक्षा 12वीं में 50% अंक	609	441	441	210	210	105	84	2100		
रीट परीक्षा	15000 रूपये	4 माह	बीएड/एसटी सी एवं कक्षा 12वीं में 50% अंक	826	599	599	285	285	142	114	2850		
आरएसएसबी द्वारा आयोजित परीक्षा जैसे- पटवारी, कनिष्ठ सहायक हेतु पूर्व की ग्रेड पे 2400 तथा वर्तमान पे लेवल 5 से ऊपर तथा पूर्व की ग्रेड पे 3600 एवं पे लेवल 10 से कम की अन्य परीक्षाएं	10000 रूपये	4 माह	स्नातक में अध्ययनरत/12वीं तथा RSCIT अथवा कम्प्यूटर कोर्स या ओ लेवल/उच्च स्तरीय कम्प्यूटर सर्टिफिकेट / डिप्लोमा एवं कक्षा 12वीं में 50% अंक	1044	756	756	360	360	180	144	3600		
कांस्टेबल परीक्षा	10000 रूपये	4 माह	कक्षा 10वीं में 50% अंक	696	504	504	240	240	120	96	2400		
बैंकिंग/बीमा की विभिन्न परीक्षाएं	20000 रूपये	6 माह	यू.जी.सी. से मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक की डिग्री में 50 प्रतिशत अंक	261	189	189	90	90	45	36	900		
रेलवे रिक्रूमेंट बोर्ड (आर.आर.बी.) द्वारा आयोजित परीक्षाएं	20000 रूपये	6 माह	स्नातक में अध्ययनरत एवं कक्षा 12 में 50 प्रतिशत अंक	261	189	189	90	90	45	36	900		
यूपीएससी द्वारा आयोजित कंबाईड डिफेंस सर्विसेज (सीडीएस)/स्टाफ	परिणामोन्मुख कोचिंग संस्थानों के माध्यम से 40000 रूपये	1 वर्ष	स्नातक/स्नातक के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत	261	189	189	90	90	45	36	900		

Signature valid

Digitally signed by Bachanesh Kumar Agrawal
Designation: Director
Date: 2024.11.12 09:41:21 IST
Reason: Approved

सिलेक्शन कमीशन (एस.एस.सी.) द्वारा आयोजित परीक्षाएँ	ज्ञानवर्धक अन्य कोचिंग संस्थानों के माध्यम से 25000 रुपये		एवं कक्षा 12वीं में 50 प्रतिशत अंक									
Total Seats - I				4350	3150	3150	1500	1500	750	600	15000	
इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा / मेडिकल प्रवेश परीक्षा	परिणामोन्मुख कोचिंग संस्थानों के माध्यम से 70000 रुपये प्रतिवर्ष	2 वर्ष	कक्षा 10 में 50% अंक (कक्षा 11वीं / 12वीं में अध्ययनरत / 12वीं उत्तीर्ण हो एवं 10वीं उत्तीर्ण किये हुए 3 वर्ष से अधिक समय नहीं बीता हो)	3480	2520	2520	1200	1200	600	480	12000	
	ज्ञानवर्धक अन्य कोचिंग संस्थानों के माध्यम से 55000 रुपये प्रतिवर्ष											
क्लैट परीक्षा	परिणामोन्मुख कोचिंग संस्थानों के माध्यम से 40000 रुपये	1 वर्ष	कक्षा 10 में 50% अंक (कक्षा 11वीं / 12वीं में अध्ययनरत / 12वीं उत्तीर्ण हो एवं 10 वी उत्तीर्ण किये हुए 3 वर्ष से अधिक समय नहीं बीता हो)	174	126	126	60	60	30	24	600	
	ज्ञानवर्धक अन्य कोचिंग संस्थानों के माध्यम से 25000 रुपये											
सीए एफसी + सीयुइटी	परिणामोन्मुख कोचिंग संस्थानों के माध्यम से 40000 रुपये	1 वर्ष	कक्षा 10 में 50% अंक (कक्षा 11वीं / 12वीं में अध्ययनरत / 12वीं उत्तीर्ण हो एवं 10 वी उत्तीर्ण किये हुए 3 वर्ष से अधिक समय नहीं बीता हो)	232	168	168	80	80	40	32	800	
सीएस इइटी + सीयुइटी	अथवा			232	168	168	80	80	40	32	800	
सीएमए एफसी + सीयुइटी	ज्ञानवर्धक अन्य कोचिंग संस्थानों के माध्यम से 25000 रुपये			232	168	168	80	80	40	32	800	
Total Seats - II				4350	3150	3150	1500	1500	750	600	15000	
Grand Total (I + II)				8700	6300	6300	3000	3000	1500	1200	30000	

नोट : परीक्षार्थियों की मैरिट का निर्धारण उक्त तालिका में वर्णित न्यूनतम योग्यता (12वीं अथवा 10वीं) में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जावेगा। मैरिट निर्धारण के लिए 10वीं अथवा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में सीबीएसई बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रतिशत को 0.9 के गुणांक से गुणा किया जाएगा जबकि आरबीएसई बोर्ड के 10वीं/12वीं में प्राप्त प्रतिशत को यथावत रखा जाएगा।

3. यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा, आरपीएससी द्वारा आयोजित आरपीएससी अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, इंजीनियरिंग/मेडिकल प्रवेश परीक्षा

Signature valid
Digitally signed by Bhanesh Kumar Agrawal
Designation : Director
Date: 2024.11.12 19:41:21 IST
Reason: Approved

CAFC, CSEET, CMAFC एवं CDS/SSC की परीक्षाओं की परिणामोन्मुखी कोचिंग संस्थाओं/ बुनियादी शैक्षणिक सुविधाओं वाले ज्ञानवर्धक अन्य कोचिंग संस्थाओं से कोचिंग प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं को आवास/भोजन इत्यादि के लिए वर्ष में 40000 रुपये की अतिरिक्त राशि आवास/भोजन भत्ते के रूप में उपलब्ध करायी जाएगी बशर्ते उन्हें योजनान्तर्गत घयनित होने के उपरान्त सम्बन्धित सूचीबद्ध कोचिंग संस्थान में ज्वाइनिंग के फलस्वरूप इस कोचिंग के लिए अपना आवास छोड़कर किसी अन्य शहर में इस कोचिंग के लिए आकर किराये पर रहना पड़े।

4. कोचिंग संस्थानों को सूचीबद्ध किये जाने की अनिवार्य पात्रता:-

- A. इच्छुक सभी कोचिंग संस्थानों (उन कोचिंग संस्थानों सहित जो पहले से ही योजनान्तर्गत सूचीबद्ध हैं) को सत्र 2024-25 से लागू संशोधित नवीनतम दिशा-निर्देशों के अनुसार ऑनलाईन पोर्टल पर राजस्थान में संचालित केन्द्रवार (Center Wise) पृथक-पृथक आवेदन करना होगा।
- B. कोचिंग संस्थान को कम्पनी अधिनियम 2013/ संस्था सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860/ राज्य/संघ क्षेत्र के किसी अन्य संगत अधिनियम के अन्तर्गत एक पंजीकृत निकाय/संगठन होना चाहिए।
- C. विभाग द्वारा कोचिंग संस्थाओं को सूचीबद्ध किये जाने हेतु इच्छुक कोचिंग संस्थानों से आवेदन आमंत्रित करने की EOI/विज्ञप्ति जारी होने की तारीख को आवेदन करने वाली सम्बन्धित संस्थान कम से कम 03 वर्ष पूर्व से पंजीकृत हो एवं वह संस्थान योजनान्तर्गत आवेदन करते समय कम से कम 3 वर्ष की अवधि के लिए पूर्ण रूप से कार्यरत होनी चाहिए।
- D. संस्था के पास आवेदित पाठ्यक्रमों में कोचिंग प्रदान करने के लिए केन्द्रवार सभी आवश्यकताएँ पूरी करने हेतु उपयुक्त अवसंरचना होनी चाहिए।

4.1 बुनियादी शैक्षणिक सुविधाओं वाले ज्ञानवर्धक अन्य कोचिंग संस्थानों की श्रेणी के अन्तर्गत सूचीबद्ध किये जाने हेतु पाठ्यक्रमवार अनिवार्य पूर्व अर्हताएँ निम्न तालिका-02 में अंकित अनुसार है :-

तालिका-02

क्र. सं.	पाठ्यक्रम / परीक्षा का नाम	पिछले तीन वर्षों में संबंधित कोचिंग सेवाओं का प्रत्येक वर्ष का कुल टर्नओवर	पिछले तीन वर्षों में संबंधित पाठ्यक्रमों में संस्थान द्वारा प्रत्येक वर्ष में प्रशिक्षित विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या	सक्रिय कोचिंग सेंट्रों की न्यूनतम संख्या		पाठ्यक्रमवार / परीक्षावार पूर्णकालिक शिक्षकों की न्यूनतम संख्या	पिछले तीन वर्षों में कोचिंग संस्थान द्वारा पाठ्यक्रमवार / परीक्षावार प्रशिक्षित विद्यार्थियों का प्रतिवर्ष न्यूनतम परिणाम
				राजस्थान सहित सम्पूर्ण भारत में	केवल राजस्थान में		
A	सब-इन्सपेक्टर व पूर्व में 3600 ग्रेड पे व वर्तमान में पे मैट्रिक्स 10 व ऊपर की परीक्षा रीट परीक्षा पटवारी, कनिष्ठ सहायक आदि	65 लाख रुपये से 2 करोड़ रुपये तक	250	..	01	05	योजनान्तर्गत सम्मिलित अन्य राज्य स्तरीय परीक्षाओं जैसे - रीट परीक्षा, सब-इन्सपेक्टर, कांस्टेबल, पटवारी आदि के लिए परीक्षावार प्रशिक्षण के लिए कोचिंग संस्थानों में से कम से कम 03 संस्थानों में से कम से कम 03 संस्थानों में

RajKaj Ref
11745725

Signature valid

Digitally signed by Baghjanesh
Kumar Agrawal
Designation: Director
Date: 2024.11.12 09:41:21 IST
Reason: Approved

	कांस्टेबल परीक्षा									
B	क्लैट	01 करोड़ से 05 करोड़ रुपये तक	250	02	01	05				परीक्षावार शीर्ष 500 रैंक में क्लैट में शीर्ष 1000 रैंक में न्यूनतम 5 रैंक प्राप्त की हो
	बैंकिंग / बीमा	01 करोड़ से 05 करोड़ रुपये तक	500	02	01	05				पाठ्यक्रमवार सम्बंधित परीक्षाओं हेतु घोषित परिणाम में कम से कम 25 विद्यार्थियों का चयन अंतिम रूप से हुआ हो
	आर.आर.बी. एस.एस.सी./सी.डी.एस.									
C	आर.एस. एवं अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा	02 करोड़ रुपये से 05 करोड़ रुपये तक	250	..	01	05				विगत 03 भर्तियों में से कम से कम 02 भर्तियों में शीर्ष 1000 रैंक में न्यूनतम 5 अंतिम चयन
	यू.पी.एस.सी. द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा	02 करोड़ से 10 करोड़ रुपये तक	250	02	01	05				यू.पी.एस.सी. द्वारा घोषित शीर्ष 1000 रैंक में न्यूनतम 1 अंतिम चयन
D	इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा / मैडिकल प्रवेश परीक्षा	02 करोड़ से 10 करोड़ रुपये तक	1000	05	01	05				इंजीनियरिंग/मैडिकल प्रवेश परीक्षाओं में शीर्ष 2000 रैंक में न्यूनतम 10 विद्यार्थियों ने स्थान प्राप्त किया है तथा शीर्ष 10000 रैंक में न्यूनतम 25 विद्यार्थियों ने स्थान प्राप्त किया है।
	सी.ए.एफ.सी./सी.एस.इ. ई.टी./सी.एम.ए.एफ.सी. + सी.यु.इ.टी. (यु.जी.)	02 करोड़ से 10 करोड़ रुपये तक	1000	05	01	05				सी.ए./सी.एस./सी.एम.ए. के लिए घोषित शीर्ष 50 रैंक में न्यूनतम 03 रैंक प्राप्त की हो

नोट: उपरोक्त मानदंडों के अलावा सम्बंधित बुनियादी शैक्षणिक सुविधाओं वाले ज्ञानवर्धक अन्य कोचिंग संस्थानों की सक्रिय वेबसाइट हो।

4.2 परिणामोन्मुखी कोचिंग संस्थानों की श्रेणी के अन्तर्गत सूचीबद्ध किये जाने हेतु पाठ्यक्रमवार अनिवार्य पूर्व अर्हताएँ निम्न तालिका-03 में अंकित अनुसार है :-

तालिका-03

क्र. सं.	पाठ्यक्रम / परीक्षा का नाम	पिछले तीन वर्षों में संबंधित कोचिंग सेवाओं का कुल टर्नओवर	पिछले तीन वर्षों में संबंधित पाठ्यक्रमों में संस्थान द्वारा प्रत्येक वर्ष में प्रशिक्षित विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या	सक्रिय कोचिंग सेंटरों की न्यूनतम संख्या		पाठ्यक्रमवार / परीक्षावार पूर्णकालिक शिक्षकों की न्यूनतम संख्या	पिछले तीन वर्षों में कोचिंग संस्थान द्वारा पाठ्यक्रमवार / परीक्षावार प्रशिक्षित विद्यार्थियों का प्रतिवर्ष न्यूनतम परिणाम
				राजस्थान सहित सम्पूर्ण भारत में	केवल राजस्थान में		
A	सब-इन्स्पेक्टर व पूर्व में 3600 ग्रेड पे व वर्तमान में पे मैट्रिक्स 10 व ऊपर की परीक्षा	02 करोड़ रुपये से ऊपर	500	..	02	05	योजनान्तर्गत सम्मिलित अन्य राज्य स्तरीय परीक्षाओं जैसे - रीट परीक्षा, सब-इन्स्पेक्टर, कांस्टेबल, पटवारी आदि के अंतिम परिणाम में परीक्षावार पिछली 03 भर्तियों में से कम से कम 02 भर्तियों में परीक्षावार शीर्ष 300 रैंक में न्यूनतम 15 चयन
	रीट परीक्षा						
	पटवारी, कनिष्ठ सहायक आदि कांस्टेबल परीक्षा						
B	क्लैट	05 करोड़ रुपये से ऊपर	500	05	01	10	क्लैट में शीर्ष 500 रैंक में न्यूनतम 5 रैंक प्राप्त की हो
	बैंकिंग / बीमा	05 करोड़ रुपये से ऊपर	1000	05	01	05	पाठ्यक्रमवार सम्बंधित परीक्षाओं हेतु घोषित परिणाम में कम से कम 25 विद्यार्थियों का चयन अंतिम रूप से हुआ हो
	आर.आर.बी. एस.एस.सी./सी.डी.एस.						

Signature valid
Digitally signed by Bachanesh Kumar Agrawal
Designation : Director
Date: 2024.11.12 19:41:21 IST
Reason: Approved

C	आर.ए.एस. या अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा	05 करोड़ रुपये से ऊपर	500	..	02	05	विगत 03 भर्तियों में से कम से कम 02 भर्तियों में शीर्ष 500 रैंक में न्यूनतम 5 अंतिम चयन
	यू.पी.एस.सी. द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा	10 करोड़ रुपये से ऊपर	500	05	01	10	यू.पी.एस.सी. द्वारा घोषित शीर्ष 1000 रैंक में न्यूनतम 5 अंतिम चयन
D	इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा / मैडिकल प्रवेश परीक्षा	10 करोड़ रुपये से ऊपर	2000	10	02	10	इंजीनियरिंग/मैडिकल प्रवेश परीक्षाओं में शीर्ष 100 रैंक में न्यूनतम 5 विद्यार्थियों ने तथा शीर्ष 10000 रैंक में न्यूनतम 50 विद्यार्थियों ने स्थान प्राप्त किया हो। अथवा इंजीनियरिंग/मैडिकल प्रवेश परीक्षाओं में शीर्ष 1000 रैंक में न्यूनतम 10 विद्यार्थियों ने स्थान प्राप्त किया है तथा शीर्ष 10000 रैंक में न्यूनतम 50 विद्यार्थियों ने स्थान प्राप्त किया हो।
	सी.ए.एफ.सी./सी.एस.इ.ई.टी./सी.एम.ए.एफ.सी.+ सी.यु.इ.टी. (यु.जी.)	10 करोड़ रुपये से ऊपर	2000	10	01	10	सी.ए./सी.एस./सी.एम.ए. के लिए घोषित शीर्ष 50 रैंक में न्यूनतम 10 रैंक प्राप्त की हो
नोट: उपरोक्त मानदंडों के अलावा सम्बंधित परिणामोन्मुखी कोचिंग संस्थाओं की सक्रिय वेबसाइट और विद्यार्थियों के लिए डिजिटल अध्ययन-सामग्री / ऑनलाइन कोचिंग, रिविज़न सहायता एवं टेस्ट-सीरीज़ के लिए कार्यात्मक इन-हाउस अध्ययन ऐप हो।							

- राजस्थान राज्य के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति-पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं हेतु योजना का संचालन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र-छात्राओं हेतु अल्पसंख्यक मामलात विभाग एवं विशेष योग्यजनों हेतु विशेष योग्यजन निदेशालय द्वारा किया जावेगा।
- योजनान्तर्गत पाठ्यक्रम-वार/परीक्षा-वार, श्रेणीवार/वर्गवार राज्य स्तरीय लक्ष्य के अनुसार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त कर पात्र एवं योग्य अभ्यर्थियों की मैरिट सूची जारी कर चयनित अभ्यर्थी द्वारा सूचीबद्ध कोचिंग संस्थान में प्रवेश लेने की दिनांक से परीक्षा/पाठ्यक्रम की अवधि पूर्ण होने तक लाभार्थी को गुणवत्तापूर्ण कोचिंग की व्यवस्था सम्बंधित सूचीबद्ध कोचिंग संस्थानों द्वारा करवाई जायेगी।
- सत्र 2024-25 से लागू नवीनतम मापदंडों के अनुसार पात्र एवं योग्य कोचिंग संस्थानों को 03 वर्ष की अवधि के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। उक्तानुसार पंजीयन अवधि के दौरान पाठ्यक्रमवार विभाग द्वारा देय राशि की अंतिम किश्त के भुगतान हेतु एवं पंजीयन अवधि की समाप्ति उपरान्त विभाग द्वारा उन कोचिंग संस्थानों के नवीनीकरण हेतु परिणाम आधारित मूल्यांकन के निम्नानुसार तालिका -04 में अंकित मापदण्ड अनुसार किया जावेगा

:-

RajKaj Ref
11745725

6

Signature valid

Digitally signed by Bachanesh
Kumar Agrawal
Designation : Director
Date: 2024.11.12 09:41:21 IST
Reason: Approved

Scanned with CamScanner

पाठ्यक्रम/परीक्षा का नाम	कोचिंग संस्थानों के लिए परीक्षावार निर्धारित प्रदर्शन मापदण्ड	योजनान्तर्गत संस्थान में प्रवेशित लाभान्वितों का संबंधित परीक्षाओं में परीक्षावार सफल होने का न्यूनतम परिणाम प्रतिशत
यूपीएससी-सिविल सेवा परीक्षा	यूपीएससी-सिविल सेवा की परीक्षा में प्रारंभिक/मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने/अंतिम चयन।	2%
आरपीएससी-आरएएस एवं अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा	आरपीएससी-आरएएस एवं अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा में मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने/अंतिम चयन।	2%
योजनान्तर्गत सम्मिलित अन्य राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाए (सब-इन्सपेक्टर व पूर्व में 3600 ग्रेड पे व वर्तमान में पे मैट्रिक्स 10 व ऊपर की परीक्षा, रीट परीक्षा पटवारी, कनिष्ठ सहायक आदि, कांस्टेबल परीक्षा)	इन परीक्षाओं में लाभार्थी का अंतिम चयन या साक्षात्कार के लिए कॉल	5%
मेडिकल प्रवेश परीक्षा (NEET)	इस परीक्षा के परिणाम में योग्य घोषित होने के उपरान्त एमबीबीएस/बीडीएस/स्वास्थ्य विज्ञान (हेल्थ साइंस) के बैचलर कोर्स में लाभार्थियों का मेडिकल कॉलेज में प्रवेश (जिनमें से कम से कम आधे उस अंतिम कट ऑफ अंक को पार कर गए हों जिस पर श्रेणीवार सम्बंधित विद्यार्थियों को उस वर्ष किसी भी सरकारी कॉलेज में चुना गया था)	5%
इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा (JEE-Main)	इस परीक्षा के परिणाम में योग्य घोषित होने के उपरान्त किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में जेईई मेन्स द्वारा बीटेक/बीई के बैचलर कोर्स में लाभार्थियों का प्रवेश (जिनमें से कम से कम आधे उस अंतिम कट ऑफ अंक को पार कर गए थे जिस पर श्रेणीवार सम्बंधित विद्यार्थियों को उस वर्ष किसी भी सरकारी कॉलेज में चुना गया था)	5%
क्लैट (CLAT)	क्लैट परीक्षा उत्तीर्ण करना और एल.एल.बी. पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करना	8%
सीएएफसी/सीएसईईटी /सीएमएएफसी एवं सीयूईटी (CAFC/CSEET/CMAFC) +CUET	सीए/सीएस/सीएमए जैसे प्रोफेशनल कोर्सज में प्रवेश पाने के लिए परीक्षा उत्तीर्ण करना अथवा सीयूईटी (वाणिज्य) परीक्षा में सफलता	8%
बैंकिंग/बीमा/आरआरबी/एसएससी /सीडीएस	इन परीक्षाओं में लॉन्गलिस्ट का अंतिम चयन	8%

Signature valid

Digitally signed by Bachanesh Kumar Agrawal
 Designation : Director
 Date: 2024.11.12 09:41:21 IST
 Reason: Approved

8. इस योजना के संचालन हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग नोडल विभाग होगा। आवेदन प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए ऑनलाईन आवेदन SINGLE PORTAL पर नोडल विभाग द्वारा प्राप्त किए जाएँगे। कोचिंग संस्थाओं का चयन नोडल विभाग द्वारा जारी किये गये संशोधित नवीनतम दिशा-निर्देशों के आधार पर पारदर्शी EOI/विज्ञप्ति के माध्यम से किया जाएगा।
9. सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा लाभार्थियों के समग्र शैक्षणिक हित में मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजनान्तर्गत सत्र 2024-25 से संशोधित नवीनतम दिशा-निर्देश जारी किये जाएँगे। सूचीबद्ध कोचिंग संस्थानों को प्रशासनिक अनुमोदन उपरान्त विभाग द्वारा जारी कायदेश जारी किये जायेंगे। विभाग द्वारा जारी सभी दिशा-निर्देश/परिपत्र/आदेश इत्यादि के प्रावधानों एवं अन्य सभी शर्तों का पालन सभी हितधारकों द्वारा किया जाना अनिवार्य होगा।

उक्त संशोधित नवीनतम दिशा-निर्देश एवं प्रक्रिया वित्त (व्यय-2) विभाग की आई.डी. संख्या 162402076 दिनांक 11.11.2024 के अनुसरण में जारी किये जाते हैं।

(बचनेश कुमार अग्रवाल)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

RajKaj Ref
11745725

8

Signature valid

Digitally signed by Bachanesh
Kumar Agrawal
Designation: Director
Date: 2024.11.12 09:41:21 IST
Reason: Approved